

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 14/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00054

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

सम्पतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति रावणा
राजपूत निवासी बेरा बेरिया, रड़ावास,
तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
(राज.)

1. फौजुसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह
2. मृतक रूपसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह के कायम मुकाम
 1. मृतक मनोहर सिंह पुत्र स्व. रूपसिंह के कायम मुकाम
 1. सीताकंवर पत्नी स्व. मनोहरसिंह
 2. तेजपालसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह
 3. केसरसिंह पुत्र स्व. मनोहरसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बेरा बेरिया, रड़ावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
 4. सुमनकंवर पुत्री स्व. मनोहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बेरा बेरिया, रड़ावास हाल निवासी खारा बेरा, तहसील रोहट जिला पाली
 2. अर्जुनसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
 3. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
 4. पपुसिंह पुत्र स्व. रूपसिंह
 5. इन्द्रकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बेरा बेरिया, रड़ावास तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली
 6. कालीकंवर पुत्री स्व. रूपसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बेरा बेरिया, रड़ावास हाल निवासी सिरयारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. बद्रीसिंह पुत्र स्व. प्रेमसिंह के कायम मुकाम
 1. भंवरीकंवर पत्नी स्व. बद्रीसिंह
 2. सुमेरसिंह पुत्र स्व. बद्रीसिंह
 3. चन्दनसिंह पुत्र स्व. बद्रीसिंह
 4. विक्रमसिंह पुत्र स्व. बद्रीसिंह
4. हुक्मसिंह पुत्र प्रेमसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बेरा बेरिया, रड़ावास,



तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

5. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन तहसील
मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी
रेस्पोंडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री हेमाराम परिहार

—: निर्णय :-

दिनांक:- 28.11.2019

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम रड़ावास के नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 10.12.1983 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रड़ावास, पटवार हल्का रड़ावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्टगण के पिता श्री प्रेमसिंह की कब्जा-काश्त सुदा सामलाती खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जो खसरा नम्बर 511 रकबा 1.2646 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 514 रकबा 1.7705 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 515 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल पांच खसरों की सामलाती स्थित है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1, 2, 3 व 4 पिता श्री प्रेमसिंह के देहान्त के पश्चात तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रेमसिंह का जो फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया, उसमें अपीलाण्ट का नाम सम्पतसिंह के स्थान पर चम्पालाल अंकित कर दिया, जबकि अपीलाण्ट का नाम जन्म से ही सम्पतसिंह है, चम्पालाल कभी रहा ही नहीं। पटवारी हल्का एवं अन्य राजस्व कार्मिकों ने उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व न तो कोई जांच की, न ही प्रेमसिंह के विधिक वारिसानों को कोई नोटिस दिया एवं न ही उनको सुनवाई का अवसर दिया। जबकि कोई नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान दिए हुए हैं। अपीलाण्ट एक अनपढ़ व्यक्ति है तथा उक्त समस्त आराजी उनकी सामलाती भूमि है, इस कारण उसे कभी जैर अपील नामान्तरकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब राज्य सरकार द्वारा आपदा अनुदान की राशि प्राप्त करने एवं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अपीलाण्ट को सर्वप्रथम नामान्तरकरण की आवश्यकता पड़ी तो वह हल्का पटवारी के पास गया, जब उसे जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हुई। तो उसने नामान्तरकरण की नकलें लेकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील न्यायालय में पेश की है। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज चम्पालाल ही सम्पतसिंह है। जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त


अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया जाकर चम्पालाल की जगह सम्पतसिंह किया जाता है तो उन्हें को आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।


हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1983 में दर्ज किया है तथा अपीलाण्ट ने इतने वर्षों के पश्चात अपील न्यायालय में पेश की है, लेकिन उक्त नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट का नाम चम्पालाल न होकर सम्पतसिंह है तथा उसे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। उसके समस्त दस्तावेज भी इसी नाम से बने है। उसके इस तथ्य के संबंध में अधिवक्ता रेस्पोजेण्टगण ने भी अपनी सहमति दी है तथा अपीलाण्ट का नाम चम्पालाल न होकर सम्पतसिंह है, इसकी ताईद में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट के राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति एवं वोटर कार्ड की छाया प्रति पेश की है। जिनसे भी यही प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट का नाम चम्पालाल न होकर सम्पतसिंह ही है। कोई भी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही को करना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम रड़ावास के नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 10.12.1983 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक प्रेमसिंह के विधिक वारिशन की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।




(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली